रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

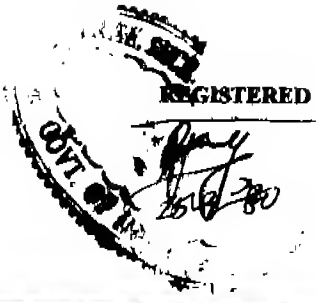

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 379] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 16, 1980/श्रावण 25, 1902

No. 379] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 16, 1980/SRAVANA 25, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1980

का. आ. 623(अ).—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 115 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (6) और धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. वी. एन. राव, प्रशासक अपनी यह राय होने पर कि इसमें विनिर्दिष्ट मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों से ऐसा अपेक्षित है, इसके द्वारा—

(1) भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों, भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं और उसके समनुषंगी बैंकों को राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण पत्र, 1980 के (जिसे इसके पश्चात प्राप्तिकर्ता कहा गया है) अन्तिम धारक को मानक स्वर्ण शलाकाओं और डिस्कों के रूप में प्राथमिक स्वर्ण का परिदान, नियंत्रण और अन्यथा व्ययन करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ; और

(2) ऐसे प्राप्तिकर्ता को, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों, भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं और उसके समनुषंगी बैंकों द्वारा, यथास्थिति, इस प्रकार परिदत्त, अन्तरित या अन्यथा व्ययनित स्वर्ण अर्जित, प्रतिगृहीत या अन्यथा प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :

परन्तु प्राप्तिकर्ता, यथास्थिति, अर्जन, प्रतिग्रहण या प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अनुज्ञप्त व्योहारी या प्रमाणित स्वर्णकार को उक्त स्वर्ण का विक्रय करेगा अथवा उक्त स्वर्ण को किसी अनुज्ञप्त व्योहारी या प्रमाणित स्वर्णकार की मार्फत आभूषणों में संपरिवर्तित कराएगा :

परन्तु यह और कि प्राप्तिकर्ता ऐसे विक्रय या संपरिवर्तन की तारीख से तीन मास के भीतर निकटतम स्वर्ण नियंत्रण अधिकारी को अनुज्ञप्त व्योहारी या प्रमाणित स्वर्णकार से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि, यथास्थिति, ऐसे स्वर्ण का उसको विक्रय किया गया है या ऐसा स्वर्ण उसके द्वारा स्वर्ण आभूषणों में संपरिवर्तित किया गया है ।

[सं. 5/80 फा. सं. 131/6/80-स्व.नि.-2(भाग)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 16th August, 1980

S.O. 623(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 8 and section 9, read with sub-section (1) of section 115 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), I, M. V. N. Rao, Administrator, being of the opinion that special circumstances of the class of cases specified herein so require, hereby authorise—

(i) the offices of the Reserve Bank of India, the branches of the State Bank of India and its subsidiary banks, to deliver, transfer or otherwise dispose of primary

gold in the form of standard gold bars and discs to the last holder of the National Defence Gold Bonds, 1980 (hereafter referred to as recipient) ; and

(ii) such recipient to acquire, accept or otherwise receive the gold so delivered, transferred or otherwise disposed of as the case may be, by the offices of the Reserve Bank of India, the branches of the State Bank of India and its subsidiary banks :

Provided that the recipient shall within a period of six months from the date of the acquisition, acceptance or receipt, as the case may be, either sell the said gold to a licensed dealer or certified goldsmith or get the said gold converted into ornaments through a licensed dealer or a certified goldsmith :

Provided further that the recipient shall within three months of the date of such sale or conversion furnish a certificate to the nearest gold control officer from the licensed dealer or certified goldsmith to the effect that such gold has been sold to him or, as the case may be, such gold has been converted by him into gold ornaments.

[No. 5/80|F. No. 131|6/80-GC.II (Pt.)]

का आ. 624(अ).—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपनी यह राय होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की धारा 41 और धारा 42 के उपबंधों से जो भारत सरकार की टकसाल के चिह्न लगी ऐसी मानक स्वर्ण शलाकाओं और स्वर्ण डिस्कों के अर्जन, कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण से संबंधित हैं जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की आदेश सं. का.आ. 623(अ), तारीख 16 अगस्त, 1980 के अधीन राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण पत्र, 1980 के अन्तिम धारक द्वारा प्राप्त की जाती है, प्रत्येक प्रमाणित स्वर्णकार को इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट देती है कि ऐसा कोई प्रमाणित स्वर्णकार ऐसे स्वर्ण की शलाकाओं और डिस्कों की एक सौ ग्राम से अधिक मात्रा किसी भी समय न तो अपने स्वामित्व में रखेगा और न अपने कब्जे, नियंत्रण अथवा अभिरक्षा में रखेगा ।

[सं. 6/80-फा. सं. 131/6/80-स्व. नि.-2 (भाग)]

एम. वी. एन. राव, अपर सचिव

S.O. 624(E).—In exercise of the powers conferred by section 109 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby exempts every certified goldsmith from the provisions of sections 41 and 42 of the said Act as relate to the acquisition, possession, custody or control of standard gold bars and discs of gold bearing India Government Mint markings received by the last holder of the National Defence Gold Bonds, 1980 under the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. S.O. 623(E), dated the 16th August, 1980 subject to the condition that no such certified goldsmith shall either own or have at any time in his possession, custody or control any quantity of such gold bars and discs in excess of one hundred grammes.

[No. 6/80 F. No. 131/6/80-GC.II (Pt.)]

M. V. N. RAO, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1980